प्रेस विज्ञप्ति

प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 134/2020/2846/26-3-2020-4(358)/07 टी.सी.।।। समाज कल्याण अनुभाग-3 दिनांक 26.10.2020 द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह 1,2,3 एवं 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11 व 12) योजनान्तर्गत मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नवत् समय-सारिणी निर्गत की गयी है:-

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु	संशोधित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु
1	प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर (अन्य प्रदेशों में) स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये) पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करना।	30 सितम्बर, 2020 तक	यथावत
2	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	01 अगस्त से 05 नवम्बर, 2020 तक।	01 अगस्त से 15 दिसम्बर, 2020 तक।
3	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन पत्र में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक एवं आय तथा आधार नम्बर) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना(नवीनीकरण एवं नवीन)।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
4	आनलाइन आवेदन पत्र हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर विलम्बतम् 12 नवम्बर, 2020 तक	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर विलम्बतम् 22 दिसम्बर, 2020 तक
5	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 अगस्त से 19 नवम्बर, 2020 तक	02 अगस्त से 29 दिसम्बर, 2020 तक
6	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना (नवीनीकरण)	30 नवम्बर, 2020 तक	15 जनवरी, 2021 तक

समस्त शिक्षण संस्थायें/छात्र-छात्रायें शैक्षिक सत्र 2020-21 में उपरोक्तानुसार दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

संलग्नक- शासनादेश

(प्रवीण कुमार सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
प्रयागराज।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रयागराज।

पत्रांकः C-1524 /स0क0/छात्रवृत्ति/विज्ञप्ति/2020–21 दिनांकः 02-11-2020

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, प्रयागराज।
3. उपनिदेशक, समाज कल्याण, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4. संयुक्त शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा), प्रयागराज की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी शिक्षण संस्थाओं को ई–मेल/दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराने का कष्ट करें।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रयागराज प्रयागराज की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी शिक्षण संस्थाओं को ई–मेल/दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराने का कष्ट करें।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्रयागराज की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी शिक्षण संस्थाओं को ई–मेल/दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराने का कष्ट करें।
7. रजिस्ट्रार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी भी शिक्षण संस्थाओं को ई–मेल/दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराने का कष्ट करें।
8. रजिस्ट्रार, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
9. सहायक निदेशक/जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि प्रेषित कि कृपया उक्त का प्रकाशन आज ही दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
10. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, प्रयागराज।
11. समस्त रजिस्ट्रार/निदेशक/प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य, जनपद प्रयागराज को इस निर्देश के साथ कि शासन द्वारा निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का कार्य सम्पादित करायें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
प्रयागराज।

Scanned with CamScanner

संख्या-134 /2020/2846/26-3-2020-4(358)/07 टी.सी. III

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1— निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

2— निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 26 अक्टूबर 2020

विषय: **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1906/स0क0/शिक्षा-अ/07/28/2020-21, दिनांक-22.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2— निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में शासनादेश संख्या-84/2020/1822/26-3-2020-4(358)/07 टीसी III दिनांक 15.09.2020 द्वारा निर्गत समय-सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

क0 सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	वर्तमान में निर्धारित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020-21)	संशोधित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020-21)
1	2	3	4
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करना।	30 सितम्बर 2020 तक	यथावत

Scanned with CamScanner

1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, 3-प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ- 226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना। (नोट-राज्य से बाहर की नवीन संस्थायें पासवर्ड के लिये 31 अगस्त 2020 तक ही आनलाइन आवेदन कर सकती हैं।)	30 सितम्बर 2020 तक	यथावत
1बी	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।	20 अक्टूबर 2020 तक *(नोट-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर सकती हैं।)*	यथावत
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	01 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक	यथावत
2ए	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	02 नवम्बर 2020 से 01 दिसम्बर 2020 तक	यथावत
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	02 नवम्बर 2020 से 01 दिसम्बर 2020 तक	यथावत
	कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अध्ययनरत नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु		
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक	01 अगस्त से 15 दिसम्बर 2020 तक
5	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियाँ (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट

Scanned with CamScanner

	तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 12 नवम्बर 2020 तक	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 22 दिसम्बर 2020 तक
7	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना।	02 अगस्त से 19 नवम्बर 2020 तक	02 अगस्त से 29 दिसम्बर 2020 तक
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	08 सितम्बर से 20 नवम्बर 2020 तक	11 सितम्बर, 2020 से 20 जनवरी 2021 तक
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंगएजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	30 नवम्बर 2020 तक	15 जनवरी, 2021 तक
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	20 नवम्बर 2020 से 10 दिसम्बर 2020 तक	30 दिसम्बर, 2020 से 20 जनवरी, 2021 तक
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	11 दिसम्बर 2020 से 20 जनवरी 2021 तक	21 जनवरी, 2021 से 22 फरवरी, 2021 तक
12	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक	20 जनवरी, 2021 से 30 जनवरी, 2021 तक
13	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र–छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर विलम्बतम 24 दिसम्बर 2020 तक	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर विलम्बतम 02 फरवरी, 2021 तक
14	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र–छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 दिसम्बर 2020 से 28 दिसम्बर 2020 तक	21 जनवरी, 2021 से 06 फरवरी, 2021 तक

Scanned with CamScanner

15	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा की एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	29 दिसम्बर 2020 से 06 जनवरी 2021 तक	08 फरवरी 2021 से 22 फरवरी 2021 तक
16	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	07 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2021 तक	23 फरवरी 2021 से 10 मार्च 2021 तक
17	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	23 जनवरी 2021 तक	15 मार्च, 2021 तक
18	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	25 जनवरी 2021 तक	25 मार्च 2021 तक

नोट:-

1- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें।

2- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षाफल/दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में **Result Not Yet Declared** आप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (20 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

3- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन प्राप्त करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन वापस कर सकेगी तथा छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराके पुनः 07 दिन के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा दिनांक 02 अगस्त 2020 से 07 दिसम्बर 2020 तक ही उपलब्ध रहेगी।

4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए)का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।

5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल अपलोड करेगें।

6- छात्र के आधार तथा आधार से लिंक मोबाइल पर प्राप्त ओ0टी0पी0 से प्रमाणीकरण आवेदन करने के लिए अनिवार्य होगा।

7- शासनादेश संख्या-84/2020/1332/26-3-2020-4(358)/07टी0सी0 iii दिनांक 15 जून, 2020 एवं शासनादेश संख्या-107/2020/1122/26-3-2020-4(358)/07टी0सी0 iii दिनांक 02 सितम्बर, 2020 (केवल मास्टर डाटा से संबंधित बिन्दु संख्या-1 से-3 तक) की समय-सारिणी यथावत लागू रहेगी तथा इस समय-सारिणी के अनुसार कक्षा-11 व 12 एवं अन्य उच्च कक्षाओं में छात्रों के आनलाइन आवेदन करने की अंतिम

Scanned with CamScanner

तिथि 05 नवम्बर, 2020 तक भरे गये आवेदन पत्रों में से पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को दिनांक 26 जनवरी, 2021 की निर्धारित तिथि पर कोविड–19 की स्थिति के अनुसार शासन के निर्णयोपरान्त पूर्व की भाँति समारोह आयोजित कर भुगतान किया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय–सारिणी का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0एल0 मीणा)

प्रमुख सचिव

पृ0सं0– 134 /2020/2846 (1)/26–3–2020 तददिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6– निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8– निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रावत)

संयुक्त सचिव।

23/10/20

Scanned with CamScanner

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– C-2016 /स0क0/शिक्षा–अ/7/28/2020–21

लखनऊ, दिनांक: 29 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3– निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समय–सारिणी के शासनादेश दिनांक 26.10.2020 की प्रति छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ–साथ तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

6– वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।

7– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

8– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश दिनांक 26.10.2020 द्वारा जारी समय–सारिणी का सबंधित विश्वविद्यालयों/एफिलियेटिंग एजेन्सी तथा समस्त शिक्षण संस्थानों/छात्रों को सूचना हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

Bal

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)

निदेशक

Scanned with CamScanner